ISSN 2321-0567
Vol. X, Issue II (Oct. – 2022)

समान नागरिक संहिता की ओर सामाजिक प्रयत्न (शामली जनपद में मुस्लिम समुदाय का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)

डॉ. सुधीर कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर
एवं
सरवेज अली
पीएचडी शोधार्थी
एस.एस.वी. पी.जी. कॉलिज, हापुड़

सारांश :–

भारत के संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता प्रदान करता है, जो कि नागरिकों को उनकी जाति, पंथ, धर्म, रंग और जन्म स्थान के मद्देनज़र लागू किया जा सकता है। जो कि वास्तव में अपनी स्थापना से ही विवाद का स्रोत बना हुआ है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया से लेकर आज तक विभिन्न धर्मों से पक्ष और विपक्ष में आवाजें उठती रही हैं। समान नागरिक संहिता की बहस में यह प्रश्न सम्मिलित है कि क्या यह भारत जैसे देश के लिए आवश्यक है? क्या समान नागरिक संहिता को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए? या कुछ समय के लिए स्थगित किया जाना चाहिए? जब तक कि समाज परिपक्व न हो जाए और अपने आदर्श वाक्य को न अपनाए?

मुख्य शब्दः– संविधान, नागरिक संहिता, क़ानूनी

प्रस्तावनाः–

संविधान का अनुच्छेद 44 भारत में कानूनी एकरूपता की क्रमिक स्थापना के लिए एक प्रतिबद्ध कानून को मान्यता देता है, जिसका उद्देश्य यह है कि भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। इस निर्देश को धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के तत्वों द्वारा एक खतरा माना जाता है, जो पारिवारिक मामलों में अपने स्वयं के व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं, जैसा कि भारत कानूनी प्रणाली के अधिरचना में लागू होता है।

भारत के संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता प्रदान करता है, जो कि नागरिकों को उनकी जाति, पंथ, धर्म, रंग और जन्म स्थान के मद्देनज़र लागू किया जा सकता है। जो कि वास्तव में अपनी स्थापना से ही विवाद का स्रोत बना हुआ है। संविधान

निर्माण की प्रक्रिया से लेकर आज तक विभिन्न धर्मों से पक्ष और विपक्ष में आवाजें उठती रही हैं। इस प्रक्रिया के उत्तरार्द्ध 'समान नागरिक संहिता' लागू करने का मुद्दा अदृश्य और अनिश्चितता में धकेलने में सफल रहा है। अपितु , शीर्ष न्यायपालिका ने समय–समय पर इसके प्रवर्तन के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया दी है। जिसका उद्देश्य 'एक राष्ट्र, एक समान नागरिक संहिता' का निर्माण कर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण करना है।

साहित्य–समीक्षा :–

अजय कुमार (2012) ने देखा कि समान नागरिक संहिता को लागू करने में समस्याएं और बाधाएं बहुत है। जिसका वर्णन लेखक ने अपनी पुस्तक ''समान नागरिक संहिताः समस्याएं और बाधा'' में किया है। समान नागरिक संहिता की बहस में यह प्रश्न शामिल है कि क्या यह भारत जैसे देश के लिए आवश्यक है? क्या समान नागरिक संहिता को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए? या कुछ समय के लिए स्थगित किया जाना चाहिए? जब तक कि समाज परिपक्व न हो जाए और अपने आदर्श वाक्य को न अपनाए? इसके तत्काल प्रवर्तन के लिए शिक्षाविद और दूरदर्शी न्यायाधीशों को उत्साहपूर्वक प्रचारित करना चाहिए। लेखक ने अपनी तेज विश्लेषणात्मक निपुणता और पारदर्शी स्पष्टता के साथ दिखाया है कि बिना संहिताबद्ध समान नागरिक संहिता के एक समान कानून के संचालन की भारतीय पद्धति धीरे–धीरे कई दशकों में विकसित हुई है।

नंदिनी चव्हाण, कुतुब जहान किदवई (2006) ने अपनी पुस्तक ''पर्सनल लॉ रिफॉर्म्स एंड जेंडर एम्पावरमेंट'' में विवाह, अलगाव, बच्चों की कस्टडी, उत्तराधिकार और संपत्ति के मामलों में महिलाओं के लिए समान अधिकार जैसे विभिन्न विषयों की जांच की। यह वह सिद्धांत है, जिस पर दोनों लेखकों ने क्रमशः हिंदू और मुस्लिम समुदायों से संबंधित दोनों महिलाओं ने संहिता के कई पहलुओं पर एक शोध प्रबंध तैयार किया। उनका यह मानना है कि लैंगिक न्याय के साथ तथ्यात्मक धार्मिक नुस्खे विश्वसनीय हैं। समान नागरिक संहिता की कल्पना धार्मिक पहचानों को भंग किए बिना व्यक्तिगत कानूनों के धर्मनिरपेक्षीकरण के रूप में की गई है।

एम0एस0 पारखी (1997) ने अपनी पुस्तक ''समान नागरिक संहिताः एक उपेक्षित संवैधानिक अनिवार्यता'' में इस विषय को बहुआयामी पहलुओं में परखा। उन्होंने अनुच्छेद 44 के तहत संविधान के अनुपालन में भारत के सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म या नस्ल या जातीयता के बावजूद समान नागरिक संहिता पर उपयुक्त कानून के बहुचर्चित और विवादास्पद विषय के एक विश्लेषणात्मक, ग्राफिक और फिर भी विवेकपूर्ण अध्ययन की समीक्षा और विश्लेषण किया। दुनिया के अन्य इस्लामी देशों में किए गए सुधार, जिसमें प्रचलित स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए व्यक्तिगत कानूनों को उपयुक्त परिवर्तन के अधीन किया गया है। लेखक ने इस विषय पर भी इस पुस्तक में चर्चा की है। संक्षेप में, यह पुस्तक विचारों से परिपूर्ण है और वे बुद्धिजीवियों को सामान्य रूप से लोगों को समझाने और मुस्लिम विशेष रूप से समान नागरिक संहिता के गुण और लाभ और उनके निराधार भय को दूर करने के लिए हैं।

अध्ययन–क्षेत्र एवं शोध–पद्धति :–

प्रस्तावित शोध अध्ययन का शीर्षक "समान नागरिक संहिता की ओर सामाजिक प्रयत्न" है। शोध हेतु उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के मुस्लिम समुदाय का चयन किया गया है। यह शोध अध्ययन अनुभवात्मक शोध की सर्वेक्षण पद्धति के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। जिसके लिए शामली जनपद के सभी विकास खण्ड़ से कुल 120 उत्तरदाताओं का प्रतिदर्श के रूप में चयन किया गया हैं। प्रतिदर्श के लिए निदर्शन पद्धति का प्रयोग कर स्वनिर्मित अनुसूची के माध्यमों से सूचनाएं एकत्रित की गयी हैं।

प्रदत्तों तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण :–

प्रदत्तों का संकलन करने के पश्चात् प्राप्त प्रदत्तों की उत्तरदाताओं का लिंग, आयु व शिक्षा के अनुसार वर्गीकरण– कुल उत्तरदाताओं की संख्या में से 21.67 प्रतिशत महिला लिंग से है और 78.33 पुरुष लिंग से हैं। जिससे स्पष्ट है कि संबंधित विषय की प्रश्नावली के प्रति महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों ने अधिक रुचि दिखायी। आयु के आधार पर 18–25 वर्ष आयु के 15 प्रतिशत, 26–35 वर्ष के 36.67 प्रतिशत एवं 35 वर्ष से अधिक आयु के 48.33 प्रतिशत उत्तरदाता थे। तथ्यों के अनुसार शैक्षिक स्तर कुल उत्तरदाताओं में से 75. 83 प्रतिशत शिक्षित व 24.17 प्रतिशत अशिक्षित है।

प्र0 1. क्या आप समान नागरिक संहिता के बारे में कोई जानकारी रखते है?

तालिका –01

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	54	45.0
2	नहीं	36	30.0
3	थोड़ी बहुत जानकारी	28	23.33
4	कह नहीं सकते	02	01.67
	कुल योग	120	100

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या आप समान नागरिक संहिता के बारे में कोई जानकारी रखते हैं? तो कुल उत्तरदाताओं में से 45 प्रतिशत ने उत्तरदाताओं ने हाँ कहा तथा 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नहीं कहा। जबकि 23.33 प्रतिशत ने थोड़ी बहुत जानकारी होना बताया और 1.67 प्रतिशत ने उत्तरदाताओं ने कहा कि वे इस विषय में कह नहीं सकते।

प्र0 2. क्या आप तीन तलाक के विषय पर कोई जानकारी रखते है?

तालिका –02

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	56	46.67
2	नहीं	12	10.0
3	कह नहीं सकते	49	40.83
4	थोड़ी बहुत जानकारी	03	2.5
	कुल योग	120	100

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या आप तीन तलाक के विषय पर कोई जानकारी रखते है? तो कुल उत्तरदाताओं में से 46.67 प्रतिशत ने हाँ कहा, 10.0 प्रतिशत ने नहीं कहा और 2.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने थोड़ी बहुत जानकारी होना बताया

व 40.83 प्रतिशत ने इस विषय पर कह नहीं सकते कहा।

प्र0 3. क्या विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेना जैसे मुद्दे जो सभी धर्मों में भिन्न–भिन्न है उनको भी समान नागरिक संहिता में सम्मिलित करना चाहिए?

तालिका –03

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	64	53.33
2	नहीं	14	11.67
3	कह नहीं सकते	42	35.0
	कुल योग	120	100

उत्तरदाताओं से जब विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेने जैसे मुद्दे जो सभी धर्मों में भिन्न–भिन्न है उनको भी समान नागरिक संहिता में शामिल करना चाहिए? तो

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या आप तीन तलाक के विषय पर कोई जानकारी रखते है? तो 53.33 प्रतिशत ने हाँ कहा और 11.67 प्रतिशत ने नहीं कहा तथा 35.0 प्रतिशत ने इस विषय पर जानकारी न होना बताया।

प्र0 4. क्या समान नागरिक संहिता को ऐच्छिक रखा जाना चाहिए ?

तालिका – 04

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	56	46.67
2	नहीं	30	25.0
3	कह नहीं सकते	34	28.33
	कुल योग	120	100

जब उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया क्या समान नागरिक संहिता को ऐच्छिक रखा जाना चाहिए? तो 46.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाँ कहा और 25.0 उत्तरदाताओं ने प्रतिशत ने नहीं कहा तथा 28.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस विषय पर जानकारी का अभाव बताया।

प्र0 5. क्या बहुपत्नी, बहुपति जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित कर देना चाहिए?

तालिका –05

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	50	41.67
2	नहीं	32	26.67
3	कह नहीं सकते	38	31.67
	कुल योग	120	100

जब उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि क्या बहुपत्नी, बहुपति जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? तो जब उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया क्या समान नागरिक संहिता को ऐच्छिक रखा जाना चाहिए? तो 41.67 प्रतिशत ने उत्तरदाताओं ने हाँ कहा और 26.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नहीं कहा तथा 31.67 प्रतिशत ने इस विषय पर जानकारी का अभाव बताया।

निष्कर्ष :–

निष्कर्ष से ज्ञात होता है कि मुस्लिम जन समुदाय के व्यक्तियों में अधिकतर या तो समान नागरिक संहिता के बारे में जानते नहीं थे या कुछ अधूरी जानकारी रखते थे। तीन तलाक के विषय में भी आधे से अधिक व्यक्तियों को अपूर्ण जानकारी

थी।वहीं विवाह, तलाक, बच्चें गोद लेना जैसे मुद्दों पर मुस्लिम समुदाय के जनों का मानना था कि इनको समान नागरिक संहिता में सम्मिलित कर लेना चाहिए।मुस्लिम जनों में अधिकतर समान नागरिक संहिता की ऐच्छिक होना तथा बहुपत्नि व बहुपति जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित करने पर जोर दिया। अतः इस आधार पर कह सकते है कि आधे से अधिक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति व्यवहारिक रूप में एक समान नागरिक संहिता का समर्थन करते है। जो कि राष्ट्र में एक समान संहिता के लिए आवश्यक भी है।

संदर्भ ग्रंथ–सूची :–

1. राजू, डी. एम., यूनिफार्म सिविल कोड – ए मिरेज ? दिल्ली : मीडिया हाउस, 2003
2. रानी, ए., ए टर्म पेपर ओ यूनिफार्म सिविल कोड . इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एडवांस रिसर्च, आइडियाज एंड इन्नोवाशन्स इन टेक्नोलॉजी, 64– 66, 2006
3. रतन, जे., यूनिफार्म सिविल कोड इन इंडियनः ए बींडिंग ओब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लॉ, दी इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, 2016
4. रूपम, यूनिफार्म सिविल कोड टुवर्ड्स जेंडर जस्टिस, रेट्रीवड, 2018, फ्रॉम www-legalservicesindia-com
5. अजय कुमार, समान नागरिक संहिताः समस्याएं और बाधा, 2012
6. नंदिनी चव्हाण, कुतुब जहान किदवई, पर्सनल लॉ रिफॉर्म्स एंड जेंडर एम्पावरमेंट, 2006
7. एम0 एस0 पारखी, समान नागरिक संहिताः एक उपेक्षित संवैधानिक अनिवार्यता, 1997
8. शर्मा, बी. आर., ए यूनिफार्म सिविल कोड फ़ॉर इंडिया, सिविल एंड मिलिट्री लॉ जर्नल , 21, 1985
9. यूनिफार्म सिविल कोड (आर्टिकल 44): थ्योरी एंड प्रक्टिकली डिकेरे, (2017, फरवरी 21). रेट्रीवड अक्टूबर 12, 2017, फ्रॉम www-jusdicere-
10. यूनिफार्म सिविल कोड विल बी काउंटर प्रोडक्टिव फ़ॉर वीमेन राइट्स : CPI&M- (2016, अक्टूबर 18), रेट्रीवड फरवरी 15, 2017, फ्रॉम www-business& Standard-com-